रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मई 27, 1971/ज्येष्ठ 6, 1893

No. 313] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 1971 JYAISTHA 6, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 27th May 1971

S.O. 2151/15/IDRA/71.—Wheas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Indore Malwa United Mills Ltd., Indore, for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Shri H.C. Jain, General Manager, Delhi Cloth and General Mills Ltd., Delhi.

Members

(2) Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation Ltd.,

(3) Shri M.G. Mirchandani, Director (technical), National Textile Corporation Ltd.,

(4) Shri T. S. V. Panduranga Sarma, Deputy Director of Companies, Department of Co. Affairs, New Delhi.

(5) Shri B. V. Vora, Secretary, Industries Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal and

Member-Secretary

(6) Shri S. S. Aggarwal, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay.

[No. 9(11)/Lic.Pol/71.]

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 मई, 1971

का० आ० 2151/15/आई० डी० आर० ए/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इन्दौर मालवा यूनाइटिड मिल्स लि०, इन्दौर नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) श्री एच० सी० जैन, महा प्रबन्धक, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स लि०, दिल्ली	अध्यक्ष
(2) श्री के० के० धर, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०	सदस्य
(3) श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०	सदस्य
(4) श्री टी० एस० वी० पांडुरंग शर्मा, समवाय उप-निदेशक, समवाय कार्य विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
(5) श्री बी० वी० वोरा सचिव, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल और	सदस्य
(6) श्री एस० एस० अग्रवाल, उप-निदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई ।	सदस्य-सचिव

[सं० फा० 9(11)/लाइसेंस-पालिसी/71.]

S.O. 2152/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the following industrial undertakings, for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification:—

(1) Alagappa Textiles (Cochin) Ltd., Alagappanagar P.O.,

(2) Vijayamohini Mills Ltd., Thirumalai, Trivandrum, and

(3) Parvathi Mills Ltd., Quilon.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chiarman

(1) Dr. S. Krishnamurthy, Head of Textile Department, Alagappa College of Technology, Guindy, Madras.

Members

(2) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation Ltd.

(3) Shri F. C. Dhaun, Director (Finance), National Textile Corporation Ltd.

(4) Shri P. J. Thomas, Executive Director, Kerala State Industrial Development Corporation, Trivandrum.

(5) Shri S. V. Jagannathan, Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Madras,

Member-Secretary

(6) Shri M. Madurainayagam, Sr. Enforcement Officer, Regional Office of the Textile Commissioner, Coimbatore.

[No. 9(12)/Lic.Pol/71.]

का० आ० 2152/15/आई०डी० आर० ए०/71.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है :—

(1) अलागप्पा टैक्सटाइल्स (कोचीन) लि०, अलागप्पानगर डाकघर,

(2) विजयमोहिनी मिल्स लि०, तिरुमलाई, त्रिवेन्द्रम, तथा

(3) पार्वती मिल्स लि०, क्यूलोन ।

अत: अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है:—

(1) डा० एस० कृष्णामूर्ति, अध्यक्ष, वस्त्र विभाग अलागाप्पा कालिज आफ टैकनोलोजी, गिन्डी, मद्रास ।	अध्यक्ष
(2) श्री एम० जी० मीरचन्दानी, निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० ।	सदस्य

(3) श्री एफ० सी० धान, निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० । सदस्य

(4) श्री पी० जे० थामस, कार्यकारी निदेशक, केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, त्रिवेन्द्रम । सदस्य

(5) श्री एस० वी० जगन्नाथन, निरीक्षक अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक का कार्यालय, समवाय विधि बोर्ड, मद्रास । सदस्य

(6) श्री एम० मधुरायनायागम, वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी, वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर । सदस्य-सचिव

[सं० 9(12)/लाइस० पोल/71.]

S.O. 2153/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as M/s Kalyanmal Mills Limited, Indore (Madhya Pradesh), for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chiarman

(1) Shri K. N. Modi, Modi Spg. and Wvg. Mills Ltd., Modinagar (UP).

Members

(2) Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation New Delhi.

(3) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical), National Textile Corporation, New Delhi.

(4) Shri T. S. V. Panduranga Sarma, Dy. Director of Companies, Deptt. of Company Affairs, New Delhi.

(5) Shri B. V. Vora, Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Industries Department, Bhopal.

Member-Secretary

(6) Shri S. S. Aggarwal, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. 9(14)/Lic.Pol/71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का० आ० 2153/15/आई०जी०आर०ए०/71—यत : केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मैसर्स कल्याण मल मिल्स लि०, इन्दौर (मध्य प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अत: अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) श्री के० एन० मोदी, मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) अध्यक्ष

(2) श्री के० के० धर, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० । सदस्य

(3) श्री एम० जी० मीरचंदानी, निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० । सदस्य

(4) श्री टी० एस० वी० पांडुरंग शर्मा, समवाय उपनिदेशक, समवाय कार्य विभाग, नई दिल्ली । सदस्य

(5) श्री वी० वी० वोरा सचिव, उद्योग विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल और सदस्य

(6) श्री एस० एस० अग्रवाल, उपनिदेशक, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई । सदस्य-सचिव

[सं० फा० 9(14)/लाइसेंस-पालिसी/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971